रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2719] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2013/अग्रहायण 15, 1935
No. 2719] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2013/AGRAHAYANA 15, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3592(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मणिपुर के मैतई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए), द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ), द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ) और इसकी सशस्त्र विंग द मणिपुर पीपल्स आर्मी (एम पी ए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पी आर ई पी ए के) और इसकी सशस्त्र विंग द रेड आर्मी, द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) और इसकी भी सशस्त्र विंग रेड आर्मी, द कांगली याओल काम्बा लुप (के वाई के एल), मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) और कॉर्डिनेशन कमेटी [कॉरकॉम (घाटी आधारित छः भूमिगत संगठनों का समूह)] को इनके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 110011/44/2013-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2013

S.O. 3592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Hon'ble Justice Shri Rajiv Shakdher, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organizations of Manipur, viz. the Peoples' Liberation Army (PLA), the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the Red Army, the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also Red Army, the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF) and Coordination Committee [CorCom (conglomerate of six valley based UG outfits)] along with all their factions, wings and front organizations as 'Unlawful Associations'.

[F. No. 11011/44/2013- NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

5132 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.